all I say today is that we owe nothing, so far as the nationalised sector is concerned.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister knows that this Company and other companies maintain double accounts. One is the real account and the other is the ghost account. What steps Government has taken to unearth it, because the account which is kept in these books.....?

MR. SPEAKER: May not ari.

SHRI K. A. RAJAN: In the statement made by the hon. Minister, there is a catagorical mention about the undermining of the public sector or something like that. Will the hon. Minister take steps to see that the public sector is not undermined by the vested interests?

SHRI SONU SINGH PATIL: Will the hon. Minister clarify whether Government has taken any effective steps to vacate the stay; if not, why not?

SHRI H. N. BAHUGUNA: It is for the Ministry of Finance to tell about it. My Ministry does not deal with this litigation.

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने प्राइवेट कम्पनियों को टेक ओवर किया, तो उस वक्त उनके जिम्मे जो इनकम टैक्स वगैरह बाकी थे, क्या उसने उनका हिसाब कर लिया था और उन्हें कम्पेन्सेशन से काट लिया था या नहीं, या अब सरकार को वह बकाया देना पड़ेगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उसका पूरा बन्दोबस्त है । घबराने की कोई बात नहीं है ।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: May I know from the hon. Minister, when he said that nothing was outstanding, whether it was on the basis of a completed assessment or upto the year for which the assessment has been made because the question of outstanding will depend on that?

SHRI H. N. BAHUGUNA: There were certain demands and completed assessments with regard to certain years. The Income Tax Officer had assessed the Indian Oil Company in a particular year for Rs. 18 and odd crores and the tribunal set aside his order saying that it was a foolish order; it was not correct.

रेलवे सैलूनों को दूसरे दर्ज के डिब्बों में बदलना

*727. **श्री रामजी लाल सुमन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सैलूनों को दूसरे दर्जे के डिब्बों में बदल रही है, यदि हां, तो अब तक कितने सैलून बदले गये हैं और अभी कितने बदले जाने हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : चूंकि अधिकांश सैलून लकड़ी के बने हुये हैं, इसलिए व दूसरे दर्जे के नियमित सवारी डिब्बों में बदले जाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि दूसरे दर्जे के नियमित सवारी डिब्बे पूरी तरह इस्पात के बने कम वजन वाले इन्टीग्रल टाइप के होने चाहियें । फिर भी, कुछ सैलूनों को पर्यटक सवारी डिब्बों के रूप में बदलने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है ।

श्री रामजी लाल सुमन : जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद सैलूनों का अभी भी जारी रहना कम से कम मेरे लिए चिन्ता का विषय है । अन्य क्षेत्रों में समानता के साथ-साथ रेलवे में भी समानता होनी चाहिए । आपातकाल में और उस से पूर्व मंत्रियों तथा सत्तारुढ़ पार्टी के लोगों द्वारा सेलूनों का उपयोग किया जाता था ; लेकिन मैं समझता हूं कि अब सैलूनों की कोई आवश्यकता नहीं है । मेरा सवाल यह है कि रेलवे सर्विस के प्रथम श्रेणी के तथा उस से बड़े पदों के

अधिकारियों के लिए सैलूनों की सुविधा उपलब्ध थी, जब कि दूसरे विभागों के उसी स्तर के अधिकारियों के लिए सैलूनों की कोई व्यवस्था नहीं थी ।

MR. SPEAKER: Please come to the question.

श्री रामजी लाल सुमन : मैं सवाल पूछ रहा हूं । सब से बड़ी दिक्कत यह है कि आप हिन्दी नहीं समझते हैं, इस लिए आप यह नहीं जानते कि मैं सवाल पूछ रहा हूं । रेलवे बोर्ड में जो फर्स्ट क्लास के अफसर हैं वे तो सैलून का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अन्य जगहों पर जो इसी श्रेणी के अधिकारी हैं, इसी स्टेटस के अधिकारी हैं उनके लिए सैलूंज की व्यवस्था नहीं है । इसके पीछे सरकार का क्या मंशा है यह मैं जानना चाहता हूं । क्या सैलूंज को अविलम्ब आप समाप्त करेंगे ?

क्या सभी श्रेणियों को समाप्त करके रेलवे में एक ही श्रेणी लाने का आपका विचार है ?

प्रो० मधु दंडवते : सैलूंज के सिलसिले में माननीय सदस्य को गलतफहमी है । बजट के समय मैंने विस्तार के साथ बताया था कि सैलूंज सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं है, बड़े-बड़े अधिकारियों को सफर करने के लिए सुविधा के रूप में नहीं हैं । हम लोगों ने 12 मई 1977 को सैलूंज के उपयोग के सिलसिले में सर्कुलर निकाल दिया है जिस का जिक्र मैंने बजट भाषण में भी किया था । हम लोगों ने स्पष्ट हिदायत दी है कि सैलूंज नाम गलत है और यह एक इंस्पैकशन कैरेज निरीक्षण करने वाला डिब्बा होता है, और हमारा स्पष्ट आदेश यह है कि कोई भी जनरल मैनेजर या कोई भी अधिकारी सैलून का इस्तेमाल सफर करने के लिए न करे लेकिन ऐसी जगह पर जहां उसको निरीक्षण करने के लिए जाना है, ट्रेक का निरीक्षण करने जाना है या जहां रेस्ट हाउस का इंतजाम नहीं है, खाने का कोई प्रबन्ध नहीं है जंगल की तरफ या दूसरी इस तरह की जगह पर इंस्पैकशन आफ दी ट्रेक के लिए जाना है तो उसी समय सिर्फ वे सैलून या इंस्पैकशन गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं । दूसरी बात यह है कि हमारे सामने दिक्कत यह है कि जो डिब्बे सैलून के बनाए गए हैं वे लकड़ी के बनाए गए हैं । हम चाहते यह हैं कि ज्यादा से ज्यादा सैलूंज को आर्डिनरी डिब्बों में कनवर्ट कर दिया जाए । लेकिन सुरक्षा के खयाल से ऐसा सम्भव नहीं हो पा रहा है क्योंकि चाहे सैकिड क्लास और चाहे फर्स्ट क्लास के जो भी डिब्बे हैं वे स्टील के होने चाहियें । इसकी वजह यह है कि जब एकसीडेंट होता है तो कोचिज अगर टिम्बर बाडी की होती है तो ज्यादा नुक्सान होता है, ज्यादा लोग मरते हैं । इसलिए इंटैग्रेल कोच फैक्ट्री स्टील के डिब्बे बनाती है । इस वास्ते हमारा एक नया सुझाव यह भी है कि सैलूंज खाली रहेंगी तो उनको टूरिस्ट कोचिज में कनवर्ट कर दिया जाए और टूरिस्ट कोचिज भी सफर के लिए नहीं लेकिन कैंपिंग कोचिज जिस को कहते हैं इस तरह से उनका कनवर्शन होगा । अभी अधिकारियों, मंत्रियों, जनरल मैनेजर्ज की तरफ से अगर इंस्पैकशन के लिए नहीं जाना होता है तो कभी सैलूंज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा यह जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं ।

श्री रामजी लाल सुमन : कब तक इनको कन्वर्ट करने का सुझाव है, कब तक आप ऐसा कर देंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : आज हमारे पास 1001 सैलूंज हैं । हम लोगों ने यह भी हिदायत दी है कि इंस्पैकशन सैलूंज सिर्फ गुडज ट्रेंज और पैसेंजर ट्रेंज से ही कनैक्ट किए जाए और 1977 में यह काम पूरा किया जाए । 34 गाड़ियां के साथ इनको न जोड़े जाने के भी आदेश हैं । अब उस में 26 की एडीशन की गई है । इस तरह से 60 गाड़ियां हो गई हैं जिन के साथ सैलूंज नहीं जोड़े जाएंगे । 200 ऐसी गाड़ियां हैं जहां रेस्ट्रिक्टिड यूज करेज का

हम लोग कर रहे हैं । हम समझते हैं कि फाइनेंशल यीअर समाप्त होने के पहले हम काफी सैलूज को टूरिस्ट कोचिज में कनवर्ट कर लेंगे ।

श्री राम अवधेश सिंह :पिछली सरकार ने तीसरी श्रेणी को बिना उस में कोई परिवर्तन किए दूसरी श्रेणी घोषित कर दिया, उसको दूसरा दर्जा घोषित कर दिया । क्या यह हुकूमत या मंत्री जी उसमें संशोधन करके, पहला और दूसरा दर्जा खत्म करके जनता गाड़ी बनायेंगे जैसा कि डा० राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि क्या कभी रेलगाड़ी में भी समाजवाद आयेगा जब कि गाड़ियों में केवल एक दर्जे के डिब्बे ही लगेंगे और सभी लोग एक दर्जे में ही सफर कर सकेंगे ? तो क्या मंत्री महोदय इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ? मंत्री जी तो पुराने समाजवादी रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : मान्यवर, मैंने बजट के समय एलान किया था कि आगे चलकर इस साल जितनी नयी गाड़ियां आयेंगी वह सभी जनता गाड़ियां होंगी । आज मैं इस सदन को एक नयी खुशी की खबर देना चाहता हूं । मैं ने यह भी कहा था कि नये सेकेन्ड क्लास कंपार्टमेंट वर्गविहिन कंपार्टमेंट ऐसे होंगे जिनमें कुशन होंगे और बर्थ होंगी । उसका नया माडल आज दिल्ली में आया है और मैं माननीय सदस्यों को दिल्ली स्टेशन पर ले जा करके इंस्पेक्शन कराकर बताना चाहता हूं कि किस प्रकार की क्लासलेस ट्रेन्स आ रही हैं और आगे की सभी जनता क्लासलेस ट्रेन्स होंगी, इस बात का मैं यकीन दिलाना चाहता हूं ।

SHRI K. GOPAL: I am rather amused to hear that instead of calling them saloons they are calling them inspection coaches. Whatever may be the name, will the Minister kindly tell us whether he is aware of the fact that not all the coaches in the Indian Railways are made of steel and that on the branch lines we do have timber coaches? In that case, will he convert these saloons for use on the branch lines also?

PROF. MADHU DANDAVATE: As far as the nomenclature is concerned, even technically they are called 'inspection coaches' everywhere.

As far as the construction material is concerned, in all the new coaches that are being constructed, for safety purposes or reasons the new compartments will be only steel compartments. All the experts have clearly indicated that during accidents, if the safety of the passengers is to be ensured, it is better that the material used is steel and, therefore, henceforth, we will not use timber body coaches for this purpose. We are however not prepared to waste them. I would like to inform the House that whatever old saloons are there will remain; but we are not undertaking the construction of even a single new saloon on additional account. As the saloons disappear gradually, they will not be replaced by new saloons.

श्री सत्य देव सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने तीन बातें बतलाई हैं। उन्होंने कहा कि सैलून लकड़ी के हैं लेकिन नये आधुनिक सैलून चल रहे हैं जिसे रिजर्व्ड एकोमोडेशन के नाम से कहा जाता है उसकी आपने कोई चर्चा नहीं की है। जहां तक कुछ गाड़ियों में ही सैलून लगाने की बात है तो पिछले रेल मंत्रालय ने भी इस प्रकार के सर्कुलर जारी किए थे लेकिन उसके बावजूद सभी ट्रेन्स में सैलून लगते हैं चाहे वह सैलून जनरल मैनेजर के हों या दूसरे चीफ रैंक के आफिसर्स के हों । इस संबंध में मैं आपको गोंडा स्टेशन की बात बतलाता हूं । आपने कहा है कि ऐसे स्टेशन्स पर सैलून का उपयोग रिजर्व्ड एकोमोडेशन के नाम से नहीं किया जायेगा जहां पर रहने और खाने की व्यवस्था होगी तो जितने अधिकारी इसका प्रयोग आपके आदेश के नाते करेंगे वे हमेशा अपनी

यात्रा में किसी ऐसे ही स्टेशन का नाम दर्ज करके इण्टर्मीडिएट स्टेशन्स की यात्रा करेंगे जहां पर इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध नहीं रहती हैं। यदि ऐसे स्टेशन पर भी वे जाते हैं तो उनकी यह यात्रा कैरिज के माध्यम से नहीं होनी चाहिए बल्कि वे इंस्पेक्शन के लिए ट्रेन्स से जायें और इंस्पेक्शन करके दूसरी ट्रेन्स से चले आयें।

आपने कहा है कि लकड़ी के ही सलून्स हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है, स्टील के सैलून भी बने हुए हैं जिसको रिजर्व्ड एकोमोडेशन कहा जाता है और जो की रेलवे के लिए स्वर्ग है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते: यह कार्यवाही के लिए माननीय सदस्य का सुझाव है और इस पर जरूर ध्यान दिया जायेगा।

Enquiry against Foreign Companies under M.R.T.P. Act

*728. SHRI K. KUNHAMBU: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any of the foreign firms are facing enquiry under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act; and

(b) if so, which are the firms and action taken against them?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) and (b). A statement indicating the names of the foreign firms and the action taken against them is being placed on the Table of the House. The statement includes not only foreign companies which operate in India through their branches, but also those which operate through their Indian subsidiaries. These cases relate to restrictive and monopolistic trade practices which are being looked into by the Monopoly and Restrictive Trade Practices Commission.

Statement

S. No.	Name of the Company	Section	Stage of enquiry before M.R.T.P. Commission.
1.	Indian Aluminium Co. Ltd., Calcutta.	10(a)(iv)	The enquiry is in the pleadings stage.
2.	Philips India Ltd., Calcutta	10(a)(iv)	Do.
3.	Western India Match Co. Ltd., Bombay.	10(a)(i) 10(a)(iv)	The enquiry is in the final stage of pleadings.
4.	Ciba Geigy of India Ltd., Bombay.	10(a)(iii)	Do.
5.	Alkali & Chemicals Corporation of India Limited, Calcutta	10(a)(iv) 10(a)(i)	The enquiry is in the pleadings stage.
6.	Ashok Leyland Ltd., Madras	10(a)(iii) 10(a)(iv)	The enquiry is in the final stage of pleadings.
7.	Avery India Ltd., Calcutta	10(b)	The enquiry is in the pleadings stage.